

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 61/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दीपाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. अनाराम पुत्र डालूराम 2. खरथाराम पुत्र डालूराम 3. ठाकराराम पुत्र डालूराम 4. मुकनाराम पुत्र डालूराम 5. लाधाराम पुत्र डालूराम 6. गिरधारीराम पुत्र विरधाराम 7. भेराराम पुत्र विरधाराम 8. अमराराम चौधरी पुत्र उमाराम 9. कालूराम पुत्र उमाराम 10. चोलाराम पुत्र उमाराम 11. तिलोकाराम पुत्र उमाराम 12. बुधाराम चौधरी पुत्र मेधाराम 13. पुरोदेवी पत्नी मेधाराम 14. चुन्नीदेवी पत्नी मेधाराम, जातियान—जाट 15. भेराराम पुत्र चौनाराम, जाति—नाई निवासी—धने की ढाणी, तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 25.06.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा धने की ढाणी व पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 230/4 रकबा 4.8136 हैक्टेयर



खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा धने की ढाणी व पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 230/4 रकबा 4.8136 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा धने की ढाणी व पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 230/4 रकबा 4.8136 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा धने की ढाणी व पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 230/4 रकबा 4.8136 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा धने की ढाणी व पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 230/4 रकबा 4.8136 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्राथी का आवेदन पत्र रवीकार किया जाकर गीजा धने की द्वाणी व पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 230/4 रकबा 4.8136 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्राथी व विप्राथीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्राथी गौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी